न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 19/2016 (राजसमन्द डिकी)

वल्लभदास पिता लक्ष्मण जी गुर्जर, निवासी नाथुवास नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिकी
उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा दिनांक
08–06–2011 प्रकरण सं. 252/06

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री जी. एस. मेहता अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाशक

———:::———

निर्णय दिनांक

27–09–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध घोशणा एवं निशेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नाथूवास में आराजी नंबर 1150/214 रकबा सवा नौ बीघा भूमि स्थित है, जिस पर वादी का कब्जा संवत् 2032 से चला आ रहा है। वादी ने हजारों रूपये खर्च कर उसे का''त योग्य बनाया है तथा उसके पास अन्य कोई जमीन नहीं है तथा इसी भूमि से उसके परिवार का भरण–पोशण होता है। अतः वादी को विवादित भूमि का खातेदार घोशित किया जाकर स्थायी निशेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है तथा नगर

पालिका सीमा में है, जिसकी खातेदारी नहीं दी जा सकती है, न ही नियमन किया जा सकता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर 5 तनकियां कायम की एवं उभयपक्षों को सुनने के बाद तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 08–06–2011 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टग/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–06–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी वयोवृद्ध होकर वकील के आ''वासन पर अदालत में उपस्थित नहीं हो सका। करीब महीने भर पूर्व तहसीलदार ने आकर मौके पर बेदखल करने की धमकी दी, तो उसे न्यायालय में आकर दिनांक 09–06–2016 को नकल प्राप्त की एवं अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत ह। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08–06–2011 की अपील 60 दिवस में अर्थात दिनांक 07–08–2011 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, जबकि यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–06–2016 को प्रस्तुत की गयी है अर्थात अपील करीब 4 वर्श 10 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। इतने लम्बे विलम्ब के लिए उनकी ओर से जो कारण बताये गये हैं वह न तो उचित प्रतोत होते हैं न ही पर्याप्त कारण है, जबकि देरी से प्रस्तुत अपील में मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पश्ट किया जाना आव''यक होता है। तद्नुसार अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक

08–06–2011 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

वल्लभदास पिता लक्ष्मण जी गूर्जर, निवासी नाथुवास नाथद्वारा, तह0 नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

अपील नं॰.....19/2016.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....नाथद्वारा..... मुकाम.....मुवर्खे.....08.....माह..... 06.....2011

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....27....माह.....09.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री जी.एस. मेहता.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री पंकज भटनागर

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–06–2011 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....27.....माह.....09... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी		

..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			..... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।